भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

F.No. -: 9-HRB031/2019-CHA **दिनांक: 01-02- 2021**

सेवा में,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ – 160001
(email: fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 0.0046317 ha of forest land in favour of Triupati Roadways for access to proposed site for mining for Tirupati Roadways at Khasra No. 141, village Rattewali under forest Division Morni-Pinjore & District Panchkula, Haryana (online proposal no. FP/HR/Approach/47001/2020).

संदर्भ (i) State Government online proposal received on 21.10.2020

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **18.12.2020 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9532/191 **दिनांक 16.03.2021 (ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0046317** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:--'

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा।
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Nandla PF, Berwala Beat, Ramgarh Block, Range Panchkula & Division Panchkula,** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **1,46,521/-** रूपये ***(Rupees one lakh forty six thousand five hundred & twenty one only)*** की राशि से **100** पौधें लगाकर किया जायेगा|
iv. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
vi. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
vii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

ix. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

x. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

xi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।***

भवदीय,

हस्ता/-
(सी० डी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षण, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा |
(e-mail: pccf-hry@nic.in)
3. Nodal Officer-cum-APCCF (FC), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009.
4. Divisional Forest Officer, Forest Division Morni Pinjore & District Panchkula, Haryana.
5. M/s Tirupati Roadways, Sadashiv Properties Katas road, bank more, Dhanbad, 826001. (gurpreetsabharwal36@gmail.com)

Signature Not Verified

Digitally signed by C D SINGH
Date: 2021.02.01 15:58:52 IST

बे 24-25, सेक्टर-31 ए, चडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in